



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13012023-241931
CG-DL-E-13012023-241931

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 13, 2023/पौष 23, 1944

No. 16]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 13, 2023/PAUSHA 23, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2023

विषय: गहरे समुद्री, अत्यधिक गहरे समुद्री और उच्च दाब-उच्च तापक्रम वाले क्षेत्रों में खोजों से उत्पादित गैस की बिक्री और पुनर्बिक्री तथा मूल्य निर्धारण की आजादी के संबंध में।

सं.अन्वे.-15022(13)/234/2019-ओएनजी-V(ई-33916).—दिनांक 15 अक्तूबर, 2020 की राजपत्र अधिसूचना सं. 300 और दिनांक 03 दिसंबर, 2020 की अधिसूचना सं. 351 के क्रम में दिनांक 21 मार्च 2016 की सरकारी अधिसूचना सं. 86 द्वारा यथा अधिसूचित अधिकतम मूल्य सहित गहरे समुद्री (डीडब्ल्यू), अत्यधिक गहरे समुद्री (यूडीडब्ल्यू) और उच्च दाब-उच्च तापक्रम वाले क्षेत्रों (एचपी एचटी) में खोजों से उत्पादित गैस के बाजार मूल्य के निर्धारण और आगे गैस के व्यापार के संबंध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण एतद्वारा जारी किए जाते हैं:-

क. उपर्युक्त उल्लिखित गैस की ई-बोली प्रक्रिया में भाग ले रहे सहयुक्तों सहित बोलीदाताओं को स्पष्ट रूप से यह बताना होगा कि क्या वे अंत्य उपभोक्ताओं (अपनी समूह कंपनियों द्वारा उपयोग सहित) के रूप में अपने उपयोग के लिए अथवा एक व्यापारी के रूप में नीलामी के माध्यम से गैस खरीदना चाहते हैं।

- ख. अंत्य उपभोक्ता: खरीदी गई उपर्युक्त उल्लिखित गैस की किसी मात्रा तथा संयंत्र के अनियोजित तरीके से बंद होने की स्थिति सहित किसी भी कारण से शेष अप्रयुक्त गैस की पुनर्विक्री पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अलग से अधिसूचित की जाने वाली शर्तों पर की जा सकती है।
- ग. व्यापारी: व्यापारियों के रूप में उपर्युक्त उल्लिखित गैस खरीदने वाले सहयुक्तों सहित उन सभी कंपनियों के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी। यह शर्तें इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने की तारीख से भूतलक्षी प्रभाव से लागू होंगी।
- व्यापारी उपर्युक्त गैस की पुनर्विक्री किसी अन्य व्यापारी या अंत्य उपभोक्ता को कर सकते हैं,
 - उपर्युक्त गैस की पुनर्विक्री पर समग्र व्यापार मार्जिन यूरिया और एलपीजी उत्पादकों (वर्तमान में 200 रुपये प्रति हजार एससीएम) को पुनर्विक्री के लिए दिनांक 24 नवंबर, 2015 को सरकार द्वारा पूर्व में अधिसूचित विपणन मार्जिन की दरों पर कैप किया जाएगा। अन्य अंत्य उपभोक्ताओं या व्यापारियों को पुनर्विक्री के लिए पुनर्विक्री पर समग्र व्यापार मार्जिन मानक विपणन मार्जिन का अधिकतम होगा।
- नोट 1:** मानक विपणन मार्जिन से आशय उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के साथ दीर्घकालिक संविदा के तहत पुनर्गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) के ऑफ-टेकर्स द्वारा लगाए जा रहे विपणन मार्जिन से है, जो वर्तमान में कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए 16.62 रुपए/एमएमबीटीयू है।
- नोट 2:** ऊपर विनिर्दिष्ट व्यापार मार्जिन संविदाकार और अंतिम खरीदार के बीच लेन-देन की श्रृंखला में शामिल सभी व्यापारियों द्वारा लगाए गए व्यापार मार्जिन का संचयी मूल्य होगा।
- अंत्य उपभोक्ताओं की स्थिति स्व-प्रमाणन पर आधारित होगी। तथापि, सरकार स्व-प्रमाणन की प्रामाणिकता को सत्यापित करने का अधिकार, यदि ऐसा आवश्यक हो, अपने पास सुरक्षित रखेगी।
 - व्यापारी सम्पूर्ण लेन-देन के विवरण की सूचना संविदाकारों को देंगे जो इस तरह के अभिलेख रखेंगे। संविदाकार समय-समय पर बोली समापन रिपोर्ट के अनुपूरक के रूप में डीजीएच को यह सूचना प्रस्तुत करेंगे। डीजीएच समय-समय पर इस संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को अनुपालन रिपोर्ट भेजेगा।
- घ. संविदाकार/बोलीदाता एजेंसियाँ पहले से ही एक दायरा प्रदान करती हैं जिसके भीतर बोलियों का मूल्य विनिर्धारित किया जा सकता है। ऐसी किसी भी स्थिति, जिसमें बोली प्रक्रिया के तहत प्रस्तावित गैस के आनुपातिक वितरण की आवश्यकता हो, संविदाकार उसी क्रम में सीएनजी(टी)/पीएनजी(डी) क्षेत्र, उर्वरक, एलपीजी और बिजली क्षेत्र से सम्बन्धित बोलीदाताओं को गैस की पेशकश करेगा। शेष कोई भी गैस प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) की प्रक्रिया के अनुसार अन्य बोलीदाताओं को पेश की जाएगी।
- ङ. बिक्री/पुनर्विक्री के अन्य सभी नियम और शर्तें, लागू सरकारी विधियों और नीतियों के अनुरूप होंगी। इस दिशानिर्देश को उपर्युक्त गैस के विपणन और मूल्य निर्धारण की आज्ञादी से सम्बन्धित सभी लागू विधियों और नीतियों के प्रावधानों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाएगा।

राजेन्द्र कुमार कुरील, निदेशक (अन्वेषण)

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2023

Subject: Regarding Sale and Resale of Gas produced from Discoveries in Deepwater, Ultra Deepwater and High Pressure-High Temperature areas with marketing and pricing freedom-reg.

No. Expl-15022(13)/234/2019-ONG-V (E-33916).—In continuation of Gazette notifications No: 300 dated 15 October 2020 and No: 351 dated 03rd December 2020, the following clarifications are hereby issued regarding the discovery of market price and further trading of gas produced from Discoveries in Deepwater (DW), Ultra Deepwater (UDW) and High Pressure-High Temperature areas (HP HT) with ceiling price as notified vide Government Notification No: 86 dated 21 March 2016:

- a. Bidders, including affiliates, participating in the e-bidding process of above mentioned gas will have to clearly specify whether they wish to purchase gas through the auction for own use as end consumers (including for use of their group entities) or as a trader.
 - b. End consumers: Any quantity of above mentioned gas purchased and remaining unconsumed for any reason, including in cases of unplanned plant shutdowns, can be resold, subject to conditions, which would separately be notified by the MoPNG.
 - c. Traders: For those entities, including affiliates, seeking above mentioned gas as traders, following conditions would be applicable. These conditions would apply prospectively from date of issue of this Notification.
 - i. Traders may resell above mentioned gas to another trader or to an end consumer,
 - ii. Overall trading margin on resale of above mentioned gas would be capped at rates of marketing margin previously notified by Government on 24th November 2015 for its resale to Urea and LPG producers (currently Rs. 200 per thousand SCM). For resale to other end consumers or traders the overall trading margin on resale would be the maximum of Standard Marketing Margin.
- Note 1:** Standard Marketing Margin refers to Marketing Margin being charged by off-takers of Regasified Liquefied Natural Gas (RLNG) under Long-term Contract with Petronet LNG Limited for supply to Consumers, currently at Rs.16.62/mmbtu for Calendar Year 2023.
- Note 2:** The trading margin specified above shall be the cumulative value of the trading margin charged by all the traders involved in the chain of transactions between the contractor and the ultimate buyer.
- iii. End consumers status shall be based on self-certification. Government would however, reserve the right to verify authenticity of the self-certification, should it be so warranted.
 - iv. Traders shall report details of completed transaction to the Contractors who shall maintain such records. Contractor shall submit this information to DGH as a supplement to the bid closure report from time to time. DGH shall periodically send compliance reports in this regard to MoPNG.
 - d. Contractors/ Bidding agencies already provide a range within which bids can be priced. In any situation, which may require proportionate distribution of the gas offered under the bidding process, the contractor shall offer gas to bidders belonging to CNG(T)/PNG(D) sector, fertilizer, LPG and power sector in that order. Any leftover gas shall be offered to other bidders as per the procedure in Request For Proposal (RFP).
 - e. All other terms and conditions of the sale/resale shall be in consonance with the applicable government laws and policies. These guidelines shall be read harmoniously with provisions of all applicable laws and policies relating to marketing and pricing freedom of above mentioned gas.

RAJENDER KUMAR KUREEL, Director (Exploration)